UPKR010020852026

# न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कासगंज

पीठासीन अधिकारी–रामेश्वर (एच0जे0एस0)

I.D No-UP6537

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–938 / 2026**

1–बन्ने मियां उर्फ संतोष । पुत्रगण
2–छोटे मियां । रक्षपाल सिंह
निवासीगण ग्राम बघराई थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जनपद कासगंज।

**बनाम**

1– जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' जनपद न्यायालय, कासगंज।
2– वादी मुकदमा शेखर चौहान पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम बघराई थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जनपद कासगंज।

अपराध संख्या–107 / 2026
धारा–191(2),109(1),115(2),352,351(3),3(5) बी0एन0एस0
थाना–सिकन्दरपुर वैश्य, जिला–कासगंज।

**19.06.2026**

**1–** प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण बन्ने मियां उर्फ सन्तोष एवं छोटे मियां की ओर से अपराध संख्या–107 / 2026, धारा–191(2),109(1),115(2),352, 351(3),3(5) बी0एन0एस0, थाना–सिकन्दरपुर वैश्य, जिला–कासगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**2–** जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। वादी पर तामीला पर्याप्त है।

**3–** संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शेखर चौहान द्वारा एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वह ग्राम बघराई थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज का निवासी है। उसका का भतीजा यश दिनांक 06. 06.2026 को सुबह भैंस को पानी पिलाने के लिए दरवाजे के सामने खडंजा पर खड़ा था उसी समय अंजमाम अली पुत्र नौशाद निवासी गली नं० हमदर्द नगर जमालपुर थाना कवार्सी जिला अलीगढ तेज मोटरसाइकिल पर निकला तभी बाइक का हैंडल उसके भतीजे के हाथ में लगा। उसके भतीजे ने बाइक धीरे चलाने को बोला तो गाली गलौज करने लगा, उसके उपरान्त अपने घर चला गया। उसके बाद समय करीब 3 बजे शाम को अचानक अंजमाम अली पुत्र नौशाद, आजम अली पुत्र छोटे मियां, अदनान पुत्र सन्तोष, अयान पुत्र सन्तोष निवासीगढ ग्राम बघराई थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज व जैद पुत्र नौशाद अपने हाथों में लाठी डण्डा लेकर उनके घर के दरवाजे पर

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.06.19 16:22:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आये और उसके व उसके भतीजे के साथ मारपीट करने लगे तो मौहल्ले वालों ने बीच बचाव किया तो उपयुक्त सभी लोग अपने घर चले गये। जब वह शाम को करीब 7.45 अपनी बैठक पर मन्दिर पर पूजाकर रहा था उसी समय उसी समय छोटे पुत्र रक्षपाल सिंह, सन्तोष पुत्र रक्षपाल सिंह, आजम अली पुत्र छोटे मियां, अदनान पुत्र सन्तोष निवासीगढ बघराई थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जैद पुत्र नौशाद, अंजमाम अली पुत्र नौशाद निवासीगढ गली नं0–1 हमदर्द नगर जमालपुर थाना कवार्सी जनपद अलीगढ एकराय मशवरा होकर अपने हाथों लाठी डण्डा लेकर उनके घर पर चढाई कर दी और भतीजे यश को जान से मारने की नीयत से आजम अली ने सीधा फायर किया जिससे उसका भतीजा यश बाल बाल बचा और उपयुक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

**4–** अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क यह लिये गये हैं कि उक्त केस की प्राथमिकी में अपराध की घटना दिनांक 06.06.2026 समय 15.00 बजे से 19.45 बजे तक अंकित है एवं जिसकी प्राथमिकी कानूनी राय मशवरा के बाद दिनांक 07.06.2026 को समय 05.55 बजे पर दर्ज करायी गयी है एवं विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्राथमिकी में नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है तथा वादी मुकद्दमा द्वारा मनगढ़त कहानी रची हुयी है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मुस्लिम समुदाय से हैं एवं राजनैतिक पार्टी बन्दी एवं जाति विशेष के चलते उनको उक्त मामले में झूठा नामित किया गया है जबकि उनका कथित घटना से कोई लेना देना नहीं है एवं उनको गांव की रंजिशन एवं पार्टी बन्दी के कारण वादी मुकदमा द्वारा पुलिस से साज करके झूॅठा नामित किया गया है। उक्त मामले में उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। उक्त मामले में कोई भी प्राणघातक चोट वादी व अन्य के नहीं आना बतायी गयी है एवं जो चोटें आना बतायी गयी हैं वह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती हैं। उपरोक्त केस में कोई भी स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। जो भी साक्षी हैं वह सभी वादी के परिवारीजन व हितवद्ध हैं। उन पर धारा 109(1) बी.एन.एस. का अपराध गठित नहीं होता है। उनके द्वारा वादी के भतीजे यश अथवा अन्य किसी व्यक्ति को हमला करके अन्य लोगों के सहयोग से कोई चोट नहीं पहुंचायी गयी है और ना ही जान से मारने की धमकी दी गयी है और ना ही जान से मारने की नियत से हमला किया गया है। उनके पैरोकार साजिद द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार उनका आपराधिक इतिहास में इस मुकद्दमे के अलावा अन्य कोई मुकद्दमा नहीं है और ना ही पूर्व सजायाफ्ता हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 08.06.2026 से जिला कारागार कासगंज में निरुद्ध हैं तथा निर्दोष है तथा अपनी उचित जमानत देने को तैयार है एवं दौरान जमानत अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगें। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की।

**5–** विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय हो कर लाठी डण्डों से लैस होकर वादी के घर पर आये और गाली गलौज करते हुये मार पीट की एवं वादी मुकदमा के भतीजे यश को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

**6—** पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिल कर लाठी डन्डों से लैस होकर वादी के घर पर आ कर गाली गलौज करते हुये मार पीट करने तथा सह अभियुक्त आजम अली द्वारा वादी के भतीजे यश को जान से मारने की नियत से फायर किये जाने के अभियोग हैं। किन्तु केस डायरी में वादी अथवा उसके भतीजे यश या अन्य किसी व्यक्ति के आग्नेयास्त्र अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई चोट आने के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय आख्या संलग्न है। नो इंजरी केस है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 08.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

**7—** अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये गुण—दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है

## आदेश

अभियुक्तगण बन्ने मियां उर्फ संतोष एवं छोटे मियां द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुब0 75,000/—(पचहत्तर हजार) रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर निम्न शर्तो के अधीन प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये :—

**1—** दौरान विवेचना किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और विवेचना में सहायता प्रदान करेंगे।

**2—** आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने की दशा में आरोप की सुनवाई तक वे प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे तथा विचारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

**3—** दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेंगे।

उक्त शर्तो के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

स्टेनो—रामेश्वर दयाल

**(रामेश्वर)**
**सत्र न्यायाधीश,**
**कासगंज**
**19.06.2026**